पत्र संख्या-कम्प्यूटरNIC कम्प्यूट्राइजेशन S/W-(11-12) / 949 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0 अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक: 05, मार्च, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर/ असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम-2008 की धारा-40 सपठित नियम-50 वैट नियमावली के उपबन्धों के अधीन व्यापारी वर्ग को वापसी योग्य धनराशि को नियमानुसार एवं समयबद्ध रुप से प्रदान किये जाने की कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु विभागीय वेबसाइट http://comtaxup.nic.in पर आन लाइन रिफण्ड आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया है। यह आवेदन पत्र ऐच्छिक है जिस पर ऐसे सभी व्यापारी जिनका व्यापार कर अधिनियम, वैट अधिनियम , केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम या प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई वापसी योग्य धनराशि लम्बित है, स्वेच्छा से आन लाइन आवेदन कर सकते हैं ।

2- उक्त आवेदन पत्र आन लाइन Submit करने के पश्चात व्यापारी द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट निकाल कर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित अधिनियमों/ नियमों के सुसंगत प्राविधानों एवं वैट नियमावली के नियम-50(3) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए नियमानुसार समयबद्ध रुप से नियत प्रारुप पर धनराशि की वापसी या समायोजन आदेश पारित करके आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। वापसी योग्य धनराशि की देय तिथि या उस पर ब्याज की देयता सम्बन्धित अधिनियम/ नियमों के अनुसार आगणित की जायेगी जिसका आन लाइन आवेदन पत्र के दिनांक से कोई सम्बन्ध न होगा। नियत समय सीमा के उपरान्त वापसी योग्य धनराशि प्रदान करने, ब्याज की देयता उत्पन्न होने या नियम विरुद्ध रुप से धनराशि वापस करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे ।

3- व्यापारी के उक्त रिफण्ड के आवेदन पत्र का निस्तारण कर देने के पश्चात इसकी प्रविष्टि वेबसाइट में भी की जानी आवश्यक होगी। इसके लिये सभी कर निर्धारण अधिकारियों को वेबसाइट पर Login करने की व्यवस्था बना दी गयी है एवं पासवर्ड जारी कर दिये गये हैं जिसके आधार पर कर निर्धारण अधिकारी अपने UserID तथा Password से Login कर अपने खण्ड से सम्बन्धित रिफण्ड के आवेदनों की सूची देख सकते हैं। आवेदन पत्र का निस्तारण हो जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसके सामने Approve Application, Partially.Approved या Reject. जैसी भी स्थिति हो को Select करेगा और अन्य सुसंगत विवरण भरते हुए Submit कर देगा ।

4- रिफण्ड के आवेदन पत्रों की स्थिति सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर व एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर द्वारा भी वेबसाइट पर Login करके देखी जा सकेगी। सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर व जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर नियमित रुप से आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति का अनुश्रवण करते रहेंगे एवं अपने सम्भाग/ जोन में वापसी योग्य धनराशि की वापसी नियमानुसार तथा समयबद्ध रुप से करायेंगे।

कृपया इन निर्देशों का समुचित प्रचार-प्रसार करते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह0/-
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक:: उक्त ।

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/-
(एम0 के0 सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।